

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक:- 626 / 11-सी-FP/UP/Approach/145661/2021, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर 03, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद-देवरिया के अंतर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस०एच०-79) के किमी० नं०-14 से 15के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं०-908, ग्राम-कोन्हवलियों, पो०-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/१२/२०२३/एफ०सी०/९०, दिनांक 01.08.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर का पत्रांक-474/2-6, दिनांक 14.08.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कर मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के उपरोक्त पत्रांक-474/2-6, दिनांक 14.08.2024 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है तथा ऑनलाइन प्रस्ताव अपलोड कर दिनांक 02.09.2024 को इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना एवं उससे अभिलेख इस अनुरोध के साथ अपलोड कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रततर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 626 / 11-सी-FP/UP/Approach/145661/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
2. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, देवरिया।
3. उप महाप्रबन्धक (रिटेल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, गोरखपुर-देवरिया रोड, बैतालपुर, देवरिया।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

410
11-11P
21/08/2024

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

पत्रांक 474 /2-6, दिनांक, गोरखपुर, अगस्त 14 /2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय-

जनपद देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोल कारपो० लि० द्वारा देवरिया-कसया मार्ग एच०एच०-79 के किमी० 14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या- 908, ग्राम-कोन्हवलियाँ, पो०-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक प्रभावित 0.075028 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ-

भारत सरकार के पत्र सं०-8बी/यू०पी०/06/12/2023/एफ०सी०/90 दिनांक 01.08.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 337/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/एप्रोच/145661/2021, दिनांक 05.08.2024 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, देवरिया का पत्रांक-383/2-6, दिनांक 12.08.2024

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, देवरिया ने अपने पत्रांक-383/2-6, दिनांक 12.08.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उक्त बिन्दुओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव /अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया द्वारा उपलब्ध करायी गयी संशोधित प्रस्ताव/अभिलेख एत्सह संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

संख्या-

अ/ दिनांकित।

सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 383 / 2-6 दिनांक, देवरिया, अगस्त 12/ 2024
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय :- जनपद-देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस0एच0-79) के कि0मी0 नं0 14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-908/ग्राम-कोन्हवलिया पो0-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-337/11-सी- एफ0पी0/ यू0पी0 /एप्रोच/145661/2021 एवं आपके कार्यालय के पत्र संख्या-383/ 2-6 दिनांक 06.08.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा बिन्दु संख्या-1 पर उठायी गयी आपत्ति की आख्या निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	आपत्ति	आख्या
1	प्रभागीय निदेशक उल्लंघन पर (वन संरक्षण एवं सम्बर्धन) अधिनियम-1980 के सेक्शन-3ए, 3बी, के तहत कार्यवाही करेंगे ?	विषयगत प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी द्वारा (वन संरक्षण एवं सम्बर्धन) अधिनियम-1980 के सेक्शन-3बी, के तहत एच-2 केस संख्या-40/2023-24 दिनांक 26.12.2023 द्वारा कार्यवाही की गयी है। जिसकी छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

निदेश

प्र0.08.24
12/08/2024

भवदीय

R. J. J. J.
(जगदीश अर)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

वन अपराध - वन संरक्षण अधिनियम 1980 के धारा 3(ख) का उल्लंघन

रिपोर्ट नं० दिनांक 26/12/2023 रोज देवरिया वीट सतलुजा

रेज केस नम्बर 40/2023-24 20 20

1. अभियुक्त के नाम पिता का नाम तथा पता
अनुपमा तिवारी 510 स्व. गोपाल देव तिवारी
ग्राम - कोनहवलिगा, पोस्ट - कनकापुर, तालुका - तरकुडवा
जिला - देवरिया (उ०प्र०)

2. गवाह का नाम, आत्मज तथा पता
अनुपमा तिवारी, देवरिया वन अधिकारी देवरिया

3. कथित अपराध का पूरा विवरण
देवरिया - कसगा मार्ग कि० मी० 14 से 15
के गडम दागी पट्टे पर ग्राम - कोनहवलिगा, पोस्ट - कनकापुर
तालुका - तरकुडवा जिला - देवरिया में बिना भारत सरकार के
अनुमति के 0.075028 हे० संरक्षित वन भूजि का क्षेत्राधिकार प्रयोग
किया गया जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के धारा 3(ख)
का उल्लंघन है।

4. अपराध के समय यदि अपराधी का कोई सामान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण

5. कुल हानि का मूल्यांकन

6. बरामद की गयी लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान

7. चालान तथा जाँच के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ
आज दि० 26/12/2023 को देवरिया
द्वारा सूचना दिये जाने पर देवरिया - कसगा मार्ग कि० मी०
14-15 के गडम दागी पट्टे पर ग्राम - कोनहवलिगा, तालुका - तरकुडवा
जिला - देवरिया में अनुशासित पट्टा पत्र का गैर-संज्ञित किया गया
जहाँ पर 0.075028 हे० संरक्षित वन भूजि का क्षेत्राधिकार प्रयोग
किया गया जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के धारा 3(ख)
का उल्लंघन है।
द्वारा प्रति-प्रमाणित।

R. J. Keer
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
देवरिया

R. J. Keer
केस काटने वाले का हस्ताक्षर
पद DFO

दिनांक- 26/12/2023 20